निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

——

दिनांक 10.11.2021

प्रकरण संख्या—31/2020 प्रा0प0

उनवान

बद्रीलाल पिता सवला रेबारी उम्र वयस्क निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील भदेसर

...............प्रार्थी

|| बनाम ||

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित— श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :—

1. प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का आसावरा, तहसील भदेसर की साबिक खाता सं. 15 पर दर्ज आराजी नं0 94/1 रकबा 5 बीघा, आराजी नं0 98/1 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा जिसके नवीन खाता सं. 19 पर दर्ज आराजी नं0 101 रकबा 1.08 हैक्टेयर, आराजी नं0 110 रकबा 0.22 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर कुल लगानी 9.10 रूपये दर्ज रेकार्ड किये गये। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी व शपथपत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.03.28 14:12:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

2. यह कि तहसील भदेसर का वर्ष 2011 में भू प्रबंध किया गया।दोराने भूप्रबंध राजस्व कर्मचारियो ने प्रार्थी के साबिक आराजी नं0 98/1 रकबा 1 बीघा के नवीन आरजी नं. 110 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करते हुए प्रार्थी की आराजीयात के नक्शे को अन्य स्थान पर दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभागे करता चला आ रहा है।

3. यह कि इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियो को प्रार्थी के खातेदारी में निहित भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं होते हुए भी नक्शे में मन मुताबिक परिवर्तन करते हुए प्रार्थी के आराजीयात को नक्शा ट्रेस में अन्य स्थान पर दर्शा दिया गया है जबकि मौके पर प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभागे करता चला आ रहा है। यह सब संबधित कर्मचारियो ने भूमि के नक्शे मे हेर–फेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित कर दी है जिससे प्रार्थी के हितों एवं अधिकारो पर विपरीत असर पडा है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी स्वीकार फरमया जाकर प्रार्थी खातेदार की ग्राम रेबारियों की ढाणी तहसील भदेसर में स्थित कृषि आराजीयात जिसके साबिक आराजी नं0 98/1 रकबा 1 बीघा के नवीन आराजी नं0 110 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया है जिसको पुनः मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने साबिक राजस्व नक्शे अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्त कर नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विपक्षी तहसीलदार भदेसर से राजस्व रेकार्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर कमीश्नरी रिपोर्ट के साथ जवाब तलब किया गया। बरोज पेशी विपक्षीएवं मौका कमीश्नर तहसीलदार भदेसर की ओर से द्वारा भू0अ0नि0 आसावरा एवं पटवारी हल्का आसावरा द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार पर्चा मौका प्रस्तुत किया गया गया। पर्चा मौका में वर्णित किया है कि :– तुलनात्मक रिकार्ड मिलान से ज्ञात हुआ हे कि ग्राम रेबारियों की ढाणी की साबिक आराजी नं0 94/1 रकबा 5 बीघा, आराजी नं0 98/1 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा जिसके नवीन आराजी नं0 101 रकबा 1.08 हैक्टेयर, आराजी नं0 110 रकबा 0.22 हैक्टेयर किता 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर बने है। पुराने नक्शे लट्ठे पर दर्ज तरमीम का अवलोकन करते हुए नये नक्शे की नवीन आराजी नं. 101 की स्थिति यथावत दर्शित है किंतु आराजी नं. 98/1 के बजाय नवीन आराजी 110 की स्थिति परिवर्तित होना प्रतीत है। नई शीट पर दर्शाये गये आराजी नं. 110 के उत्तरी दिशा में एक भू–भाग बिना नम्बर डाले छोडा गया है जिसका हिस्सा पूर्व के आराजी नम्बर 98/1 का जुज हिस्सा बनता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया।विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रस्तुत मौका कमीश्नरी रिपोर्ट ,जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि दौराने सेटलमेन्ट अनुसार राजस्व नक्शे में फेर बदल कर नक्शा त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया है प्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज रकबे एवं साबिक नक्शें को ध्यान मे नहीं रखा गया है। जबकि मौके पर प्रार्थी का रकबा पूर्ण है केवल मात्र राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रृटि है जो शुद्धि योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर एवं पटवारी हल्का नाहरगढ़ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज मौजा रेबारियों की ढाणी की साबिक आराजी नम्बर 98/1 01 बीघा के भू प्रबन्ध से आराजी नं0 110 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शे में पटवार हल्का आसावरा के पर्चे मौका में वर्णित प्रस्तावित नवीन नक्शे में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने साबिक राजस्व नक्शे अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:12:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner